

वरिष्ठ

पुलिस

अधीक्षक

जनपद

आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in



पत्र संख्या- 217/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक-18.06.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने के क्रम में आज दिनांक- 18.06.2025 को **आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी है-**

01.थाना- निजामाबाद: साइबर फ्राड के 37,551 रुपये आवेदक के खाते में वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

दिनांक 20.02.25 को आवेदक प्रेमराज यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी अरया थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ के साथ 44,500/- रुपये का साइबर धोखाधड़ी आवेदक का रिस्तेदार बनकर किया गया था। जिसके संबन्ध में साइबर हेल्प लाइन नं0 1930 के माध्यम से शिकायत संख्या 3310225XXXXX पंजीकृत हुआ था। फ्राड के सभी पैसै फ्राडस्टर के बैंक एकाउन्ट में होल्ड करावाया गया था।

➡उक्त शिकायत पर थानाध्यक्ष निजामाबाद हीरेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देश पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा कोर्ट आर्डर के माध्यम से आवेदक के खाते में कुल 37,551 /- रुपये वापस कराया गया। जिसपर आवेदक द्वारा पुलिस के प्रति आभार प्रगट किया गया।

पुलिस टीम:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर योगेन्द्र यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. म0का0 रेनू देवी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़



02.थाना सिधारी: पिता की हत्या करने वाला अभियुक्त घटना में प्रयुक्त ईट के साथ गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक- 16.06.2025 को वादी मुकदमा सुबाष चन्द पुत्र स्व० बरसाती राम सा० हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उपस्थित थाना आकर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 15.06.25 को अभियुक्त सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा स्वयं के पिता विजई राम पुत्र स्व० बरसाती राम उम्र करीब 62 वर्ष को कहासुनी में ईट से मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया तथा दिनांक 16.06.25 को घर का दरबाजा खोलने पर मृत्यु अवस्था में मिले, के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 302/2025 धारा 105 बी०एन०एस० बनाम सुनील कुमार पुत्र विजई राम सा० हरवंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना निरीक्षक अपराध शिवकुमार यादव द्वारा सम्पादित किया जा रहा है ।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

दिनांक 18.06.2025 को प्रभारी निरीक्षक सिधारी शशिचन्द चौधरी, निरीक्षक शिवकुमार यादव, उ०नि० मो० जावेद सिद्दीकी, उ०नि० मो० इस्लाम, चौकी प्रभारी मूसेपुर उ०नि० धर्मेन्द्र शर्मा मय हमराह द्वारा जाफरपुर परानापुर मोड़ के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष को समय 02.34 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा० न्यायालय किया गया।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद सीमेन्टेड ईट (आलाकत्ल)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-सुनील कुमार गौतम पुत्र विजयी राम साकिन हरबंशपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष
पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 302/2025 धारा 105 बी०एन०एस० थाना सिधारी आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. शशिचन्द चौधरी प्रभारी निरीक्षक थाना सिधारी आजमगढ़
2. निरीक्षक शिवकुमार यादव थाना सिधारी आजमगढ़
3. उ०नि० मु० इस्लाम थाना सिधारी आजमगढ़
4. उ०नि० जावेद सिद्दीकी थाना सिधारी आजमगढ़
5. उ०नि० धर्मेन्द्र शर्मा चौकी प्रभारी मूसेपुर थाना सिधारी आजमगढ़



03.थाना- मेंहनगर: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 20.04.2025 को वादिनी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ की मूल निवासी है दिनांक 18/04/25 समय करीब 12.30 बजे दिन मे वादिनी की लडकी उम्र 17 वर्ष विसहम बाजार मे कपडा सिलवाने गई थी विपक्षी अनुराग कुमार पुत्र सूरज राम वादिनी की लडकी के साथ उसका हाथ पकडकर छेड़खानी करने पर वादिनी की लडकी शोर मचाया जिससे गाँव के कुछ लोग आ गये तब अनुराग कुमार मौके से भाग गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 269/2025 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट बनाम अनुराग कुमार पुत्र सूरज राम ग्राम विषहम थाना मेंहनगर आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सों एक्ट को धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सों एक्ट में तरमीम किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 18.06.2025 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अनुराग कुमार पुत्र सूरज राम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ को समय 09.00 बजे जाफरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ से पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अनुराग कुमार पुत्र सूरज राम सा0 बिषहम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग –

1- मु0अ0सं0 269/2025 धारा 64 बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेंहनगर, आजमजगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह हे0का0 राकेश कुमार थाना मेंहनगर, आजमजगढ़



प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 18.06.2025, जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 08 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 34,250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना गम्भीरपुर: हत्या के 08 आरोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 34,250/- रुपये जुर्माना।

➡ दिनांक- 19.01.2021 को वादी सुरेन्द्र नाथ राय पुत्र पारस नाथ राय निवासी ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ ने थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पर लिखित तहरीर दी थी कि दिनांक 18.01.2021 को समय 18.00 बजे प्रतिवादी (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नारायण राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमेबाजी व मुकदमें में पैरवी को लेकर एक राय होकर साजिस करके वादी के लड़के मनीष राय उम्र 40 वर्ष को ताबड़तोड़ गोली मार देना इलाज हेतु वाराणसी ले जाते समय मृत्यु हो गयी।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 10/2021 धारा- 147,148,149,506,352,302,34,120बी भा0द0वि0 व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 08 गवाह परीक्षित हुए हैं।

➡ जिसके क्रम में दिनांक- 18.06.2025 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-01 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त (1) गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय पुत्र कल्पनाथ राय (टाप-10 अपराधी) (2) कृष्णा राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (3) कौशल किशोर पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (4) चन्दन राय पुत्र गुरु प्रसाद राय उर्फ बेचू राय (5) राजेन्द्र प्रजापति पुत्र चौधरी प्रजापति (6) अभिषेक उर्फ बच्चा राय पुत्र कृपाशंकर राय (7) चन्द्रशेखर उर्फ घूरहू सरोज पुत्र बटोही सरोज निवासीगण ग्राम अमौड़ा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ (8) दीपक उर्फ उपेन्द्र राय पुत्र जगत नारायण राय निवासी ग्राम राजेपुर पसिका, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 34,250-34250/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।